

08/03/23

वादी द्वारा जलिये अधिवक्ता उपस्थित होकर  
प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर आज दिनांक  
08/03/2023 को पत्रावली पेश हुई। वादी द्वारा  
प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि -  
वादी प्रकण को विज्ञा करना चाहता है, तथा  
उस प्रकण को आगे चलाना नहीं चाहता है।  
इसलिए उस प्रकण को लोक अदालत की -  
भारत से विज्ञा किया जाना आवश्यक है।  
आवश्यक है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विज्ञा  
स्वीकार किया जाकर वाद का वाद पत्र विज्ञा  
किया जाता है। पत्रावली केवल मुद्रा होकर  
पाद लेख भठारा है।

उप जिला कलक्टर  
लवाण



दीपक कुमार  
24/6/20